-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 04.08.2026 वादिया की दाखिला तहरीर बाबत नामित अभियुक्त कलीम पुत्र स्व0 अब्दुल मलिक निवासी खटीको का कुआँ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ छेडखानी करने के सम्बध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 402/2026 धारा 75(2) बीएनएस व 9m/9n/10 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया ।दौराने विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा परिवर्तन कर, धारा 75(2) बीएनएस व 5l/5M/5n पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।*

पुलिस कार्यवाहीः- *अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे मे* ***वांछित अभियुक्त कलीम पुत्र स्व0 अब्दुल मलिक निवासी खटीको का कुआँ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को खटीको का कुआँ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कलीम पुत्र स्व अब्दुल मलिक निवासी 0खटीको का कुआँ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 1269 धीरज मावी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2176 श्यामपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 04/08/2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 वारण्टी/अभियुक्त सचिन पुत्र काशीराम नि0 ग्राम मकवरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद स0-7744/18 व धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 राज्य बनाम सचिन थाना देवबन्द (मा0 न्यायालय सहारनपुर) द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में थाना देवबन्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त सचिन पुत्र काशीराम नि0 ग्राम मकवरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर

2- है0 का0 947 राशिद अली थाना देवबन्द सहारनपुर

दिनांक – 04.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **– "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिले देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जुबैर पुत्र इस्लाम निवासी मौ0 अब्दुल माली कस्वा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को कासिमपुरा फाटक से नन्हैडा आशा रोड रेलवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबन्द पर **558/2026 धारा 8/20 NDPS ACT** में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. जुबैर पुत्र इस्लाम निवासी मौ0 अब्दुल माली कस्वा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 300 ग्राम अवैध चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 उ0नि0 सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का० 1319 अनुज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 272 जुगेन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. है0का0 341 विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. का0 2292 ब्रजेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक – 04.08.2026

श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 : सहारनपुर पुलिस का सेवा, सुरक्षा एवं संवेदनशीलता का अनुकरणीय उदाहरण दिया गया

थाना प्रभारी कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में कांवड़ियों को फल, सूक्ष्म जलपान एवं चिकित्सीय सामग्री वितरित कर मानवता और जनसेवा का दिया संदेश

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात के निकट पर्यवेक्षण में कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा श्रद्धालु कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा एवं सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निरंतर जनहितकारी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक ***04.08.2026*** *को थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत* ***कांवड़ चौकी बड़ी नहर (अस्थाई चौकी)*** *पर थाना प्रभारी* ***श्री संतोष कुमार त्यागी*** *के नेतृत्व में उप निरीक्षक* ***श्री निर्मल कुमार*** *एवं चौकी पर नियुक्त पुलिस बल द्वारा कांवड़ियों के लिए सेवा एवं सहयोग का प्रेरणादायी अभियान संचालित किया गया।*

इस अवसर पर पुलिस टीम द्वारा यात्रा कर रहे शिवभक्त कांवड़ियों को ***फल, सूक्ष्म जलपान, पेयजल एवं आवश्यक चिकित्सीय सामग्री*** *वितरित की गई। लंबी एवं कठिन पदयात्रा के दौरान थकान, गर्मी एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्राथमिक उपचार संबंधी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता सुनिश्चित हो सके।*

थाना प्रभारी कुतुबशेर ***श्री संतोष कुमार त्यागी*** *ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु के साथ विनम्र, संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की समस्या अथवा आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाना भी है।*

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा कांवड़ियों से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षित यात्रा, निर्धारित मार्ग का पालन करने, यातायात नियमों का अनुपालन करने तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने के संबंध में भी जागरूक किया गया। श्रद्धालुओं ने सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रदर्शित सेवा-भाव, संवेदनशीलता एवं आत्मीय व्यवहार की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया।

जनपद सहारनपुर पुलिस श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान ***"सुरक्षा के साथ सेवा"*** *की भावना को आत्मसात करते हुए प्रत्येक शिवभक्त की सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ निरंतर कार्य कर रही है।*

दिनांक – 04.08.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस का सेवा एवं समर्पण का सराहनीय प्रयास, थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अस्वस्थ कांवड़िये को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात के निकट पर्यवेक्षण में कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ***थाना कुतुबशेर पुलिस निरंतर मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में आज थाना कुतुबशेर क्षेत्रांतर्गत अस्थायी कांवड़ पुलिस चौकी एलाइड पेट्रोल पंप पर ड्यूटी के दौरान पुलिस की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही देखने को मिली। ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम को एक कांवड़िये ने बताया कि उसे तेज बुखार आ रहा है तथा उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सूचना मिलते ही चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बिना किसी विलंब के तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। पुलिस की तत्परता का परिणाम रहा कि लगभग 5 मिनट के भीतर एंबुलेंस मौके पर पहुँच गई।***

एंबुलेंस में मौजूद चिकित्सक द्वारा कांवड़िये का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई तथा चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। उपचार के पश्चात कांवड़िये ने बताया कि उसके अन्य साथी व उसका भाई आगे कुछ दूरी पर स्थित एक कांवड़ शिविर में रुके हुए हैं तथा उसने वहाँ तक पहुँचाने का अनुरोध किया। श्रद्धालु की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा समुचित समन्वय स्थापित कर कांवड़िये को एंबुलेंस के माध्यम से सुरक्षित उसके साथियों के पास भिजवाया गया, जिससे वह बिना किसी असुविधा के अपनी यात्रा जारी रख सके।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर श्री संतोष त्यागी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यदि किसी भी कांवड़िये को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, तो थाना कुतुबशेर पुलिस एवं ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी हर समय सहायता के लिए तत्पर हैं।

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा कांवड़ मार्ग पर लगातार सतर्क निगरानी रखते हुए चिकित्सा सेवाओं, यातायात प्रबंधन एवं आपातकालीन सहायता एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

"सेवा, सुरक्षा एवं संवेदनशीलता" के मूल मंत्र के साथ थाना कुतुबशेर पुलिस कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं व्यवस्थित संपन्न कराने हेतु पूर्ण समर्पण के साथ कार्यरत है।

दिनांक– 04.08.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर सक्रिय गौकश/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, गौकशी के उपकरण, ₹1000/- रूपये नकद, 01 मोबाइल फोन तथा 01 रास जीवित गौवंश बरामद

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी/चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया** जा रहा है।*

*इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2026 को थानाध्यक्ष चिलकाना द्वारा पुलिस टीम के साथ ग्राम संगमौर से ग्राम महेश्वरी कलाँ जाने वाले मार्ग पर नाले के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं वांछित अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर गौकश पास के ही गन्ने के खेत में गौकशी करने की तैयारी कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँची तो संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस टीम को देखते ही, खेत से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध को चेताकर तथा फायरिंग बंद कर आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी गई, किन्तु बदमाश द्वारा पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी सूक्ष्म फायरिंग में बदमाश के दाहिनी पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **नौशाद उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल निवासी ग्राम नथमलपुर, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के **कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 02 जीवित कारतूस .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, गौकशी के उपकरण, ₹1000/- नगद, 01 मोबाइल फोन तथा 01 रास जीवित गौवंश** बरामद हुआ है। घायल/गिरफ्तार बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया। बरामद गौवंश को सुरक्षित कब्जे में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का सक्रिय अपराधी है जिसके विरूद्ध वर्ष 2018 से 2026 तक थाना चिलकाना, बेहट एवं कोतवाली देहात में डकैती, चोरी, गौकशी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट की संगीन धाराओं में करीब 09 मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिलकाना का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। फिल्ड यूनिट मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 280/2026 धारा 109(1).बीएनएस व 3/8 सीएस एक्ट व 3/25 ,5/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नौशाद उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल निवासी ग्राम नथमलपुर, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *01 अवैध तमंचा .315 बोर,*
- *02 जीवित कारतूस .315 बोर,*
- *02 खोखा कारतूस .315 बोर,*
- *गौकशी के उपकरण,*
- *₹1000/- नगद,*

- *01 मोबाइल फोन*
- *01 रास जीवित गौवंश*

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त नौशाद उर्फ पप्पू)-

1. मु0अ0सं0 140/18 धारा 41/102 सीआरपीसी चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 132/21 धारा 395/412120 बी भादवि चालानी थाना बेहट सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 140/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 191/24 धारा 380/411 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना को0 देहात सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 198/24 धारा 379/411 भादवि 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना को0 देहात सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 199/24 धारा 380/411 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना को0 देहात सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 203/24 धारा 380/411 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना को0 देहात सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 523/24 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना को0 देहात सहारनपुर
9. निवारक कार्यवाही 001/25 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 चालानी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
10 मु0अ0सं0 280/2026 धारा 109(1).बीएनएस व 3/8 सीएस एक्ट व 3/25 ,5/27 आर्म्स एक्ट चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *का0 859 अमित तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
5. *का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
6. *का0 586 निखिल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 04.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा दुष्कर्म व रंगदारी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *अवगत कराना है कि दिनाँक 31.07.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया के घर मे घुसकर वादिया के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना व वादिया को बदनामी का डर दिखाकर वादिया से करीब डेढ लाख रूपये की रंगदारी मांगना व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 271/26 धारा 333, 64(1),308(2) 351(3) बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनाँक 04.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए बलात्कार / रंगदारी के मुकमदें में* ***वांछित अभियुक्त जाबिर पुत्र हाशिम निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को पटनी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

जाबिर पुत्र हाशिम निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1- उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- का0 2423 मनमोहन सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक: 04.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.08.2026 को वादी श्री छोटू उर्फ सतपाल पुत्र आनन्द निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के भाई व माँ के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से फावडों व डन्डों से मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 192/26 धारा (5)3/(2)115/(1)109/352बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2026 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए ***02 वांछित अभियुक्तगण .1सुधीर पुत्र सोम निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर व .2रणधीर पुत्र सोम निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर*** *को कचरई बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

.1 सुधीर पुत्र सोम निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जिला सहारनपुर
2. रणधीर पुत्र सोम निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 205 विपिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 04.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 31.07.2026 को वादिया श्रीमती ममता पत्नी घसीटा नि0 ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पति के साथ पैसो के लेनदेन को लेकर गाली गलौच करने व जान से मारने की नीयत से सिर पर ईंटो व डण्डो से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 185/26 धारा 115(2)/352/109(1)/3(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2026 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में ***01 वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र सैन्दो निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम टिकरौल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुनील पुत्र सैन्दो निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 1714 मौहम्मद अकरम थाना नानौता जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 04-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि 02.08.2026 को वादिया की दाखिला तहरीर बावत अभियुक्त महकार पुत्र रहीश निवासी कुतुब माजरा थाना बडगांव जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के कपडे फाड देने छेड़छाड़ करने व वादिया के साथ कई बार दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 303/2026 धारा 74/76/64(2)M/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त महकार पुत्र रहीश निवासी कुतुबा माजरा थाना बडगाँव जिला सहारनपुर को रसूलपुर अडर पास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महकार पुत्र रहीश निवासी ग्राम कुतुबा माजरा थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *व0उ0नि0श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *रि0का0 798 जतिन कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक: 04.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.08.2026 को ***01 वारण्टी अभियुक्त सुनील गोस्वामी पुत्र रोहतास गोस्वामी नि0 सेतिया विहार नुमाईश कैंप थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या 250/26 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर (मा0 न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सी0डी) ए0सी0जे0एम0 सहारनपुर) नियत 05.08.2026 को सेतिया विहार नुमाईश कैम्प से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुनील गोस्वामी पुत्र रोहतास गोस्वामी निवासी सेतिया विहार नुमाईश कैंप थाना कोतवाली नगर जनपद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*
2. *है0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*
3. *का0 2486 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा शराब ब्रिकी करते हुए 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगांव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.08.2026 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 नशा तस्कर अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ सुक्का पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम शिमलाना जाने वाले रास्ते से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एव गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 193/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1- राजेश कुमार उर्फ सुक्का पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक 04-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा नकली शराब बनाने के मुकदमें में 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 02 लाख 60 हजार रूपये (प्रत्येक को 52,000-52000 हजार रूपये) के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2021 को वादी उ0नि0 सतेन्द्र कुमार शर्मा थाना जनकपुरी स0पुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- भोली पुत्री महिपाल नि0 जेल चुंगी मौज्जमपुरा थाना जनकपुरी स0पुर, 2- बादल पुत्र सीताराम नि0 उपरोक्त, 3- सूरज पुत्र बिल्लू नि0 उपरोक्त, 4- सचिन उर्फ फुईया पुत्र रामशरण उर्फ जमन नि0 उपरोक्त व 5- डब्बू जैसवार पुत्र इन्द्र उपरोक्त द्वारा मिलावटी शराब बनाने की सूचना पर मु0अ0सं0-144/2021 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 723/22 व 724/22 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 15 पो0 एक्ट जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या- 15 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 04.08.2026 को अभियुक्तगण 1- भोली पुत्री महिपाल नि0 जेल चुंगी मौज्जमपुरा थाना जनकपुरी स0पुर, 2- बादल पुत्र सीताराम नि0 उपरोक्त, 3- सूरज पुत्र बिल्लू नि0 उपरोक्त, 4- सचिन उर्फ फुईया पुत्र रामशरण उर्फ जमन नि0 उपरोक्त व 5- डब्बू जैसवार पुत्र इन्द्र उपरोक्त को मु0अ0सं0-144/2021 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 52,000-52,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया।*

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री संदीप कुमार।

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव थाना जनकपुरी स0पुर।

पैरोकार- का0 225 बब्लू थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।